

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-

दिनांक:-/08/2017

--: आदेश :-

श्री रजनीश शर्मा, एफएसओ को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर से एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों तक कार्यव्यवस्था के तहत कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही लगाया गया था, को निरस्त कर इन्हें अपने मूल पदस्थापन स्थान कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर में लगाया जाता है।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : २९५

दिनांक २३/०८/२०१७

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप-शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-२), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)/ग्रामीण स्वास्थ्य, निदेशालय, मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-संबंधित।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित।
7. संबंधित एफएसओ को पालनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट/संबंधित की ई-मेल आई.डी. पर डलवाना सुनिश्चित करावें।
9. निजी/आदेश पत्रावली।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।